



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]
No. 656]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 1996/कार्तिक 22, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 1996/KARTIKA 22, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1996

(आयकर)

का. आ. 790 (अ).— चूंकि आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार, उक्त करार के अनुच्छेद-30 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों ही संधिदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने पर 25 जनवरी, 1994 से प्रवृत्त हो गया है ।

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे ।

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के
परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार,

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए एक करार सम्पन्न करने की इच्छा

से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :—

अनुच्छेद 1 वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद 2 करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :—

(क) भारत में :

(i) आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;

(ii) धनकर;

(जिसे इसमें इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है)

(ख) उज्बेकिस्तान में :

(i) लाभ पर कर;

(ii) धनकर;

(iii) विधिक व्यक्तियों के साथ-साथ अलग-अलग व्यक्तियों पर आयकर;

(जिसे इसमें इसके बाद "उज्बेकिस्तान कर" कहा गया है)।

2. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा मौजूदा करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में हुए मूल परिवर्तनों की सूचना एक-दूसरे को देंगे ।

अनुच्छेद 3 सामान्य परिभाषाएँ

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

(क) "भारत" पद से अभिप्रेत है—भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य-क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र, और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) "उज्बेकिस्तान" पद का भौगोलिक अर्थ है, जब यह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होगा, जिससे अभिप्रेत है—भू-भाग, क्षेत्रीय जल तथा अन्य ऐसे जोन जिन पर उज्बेकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा उज्बेकिस्तान गणराज्य के कराधान कानूनों के अनुसार प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ग) "संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से अभिप्रेत है—भारत अथवा उज्बेकिस्तान जैसा कि संदर्भ में अपेक्षित हो;

(घ) "कम्पनी" पद से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई भी ऐसी सत्ता अभिप्रेत है, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत किसी कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती हो;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" पद का आशय है भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), तथा उज्बेकिस्तान के मामले में, केन्द्रीय राज्य कराधान बोर्ड अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(छ) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है:

- (i) भारत के मामले में, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत यथा-परिभाषित "पूर्ववर्ती वर्ष";
- (ii) उज़्बेकिस्तान के मामले में, पुनरीक्षाधीन वर्ष का 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक का कैलेण्डर वर्ष;
- (ज) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है—किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान अथवा मोटर वाहनों द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान, वायुयान अथवा मोटर वाहन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;
- (झ) "राष्ट्रक" पद से किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता धारण करने वाले किसी व्यक्ति और किसी ऐसे विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था अभिप्रेत है जिसे अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;
- (ञ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य इकाई माना जाता हो;
- (ट) "कर" पद का आशय, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा उज़्बेकिस्तान कर से है परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिस पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाया कोई अर्धदण्ड हो।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो जब तक संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी:—

- (क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) हैं;
- (ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;
- (ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रक है;
- (घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :—

- (क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;

- (ड) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य अथवा कोई संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, केवल वहां जहां ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप बारह मास से अधिक की अवधि तक चलते रहें ।
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :—
- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के किसी अन्य प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप हेतु कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के एजेन्ट से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, किसी उद्यम की ओर से कार्य करता है तथा वह उद्यम की ओर से करार निम्न करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य में आदतन अपने प्राधिकार का प्रयोग करता है और करता रहा है, तो उस उद्यम का, ऐसे कार्यकलापों के संबंध में जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना समझा जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति की गतिविधियां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित नहीं हों, यदि कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा ।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेन्ट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अधिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेन्ट नहीं समझा जाएगा ।

6. यदि कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, जो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी एक कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के अपसाधन के रूप में संपत्ति, उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नौकाएं, विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल संपत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो, तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो प्रत्यक्ष रूप से उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुआ माना जाए।

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः" पदों का अर्थ है कि जहां कोई स्थायी संस्थापन उद्यम द्वारा किए गए कार्यों पर बातचीत करने, इन्हें संपन्न करने अथवा पूर्ण करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है, तब इस बात के होते हुए भी कि उद्यम के अन्य भागों ने भी उन लेन-देनों में भाग लिया है, तब उन लेन-देनों के कारण उत्पन्न हुए उद्यम के लाभों का वह अनुपात स्थायी संस्थापन के कारण हुआ माना जाएगा क्योंकि स्थायी संस्थापन का ऐसा अंशदान उन लेन-देनों के संबंध में पूर्ण उद्यम का माना जाएगा।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां तक एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण से लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की अपेक्षा रहती, जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं; जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा ये उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों की सीमाओं के अध्वधीन किए गए हों।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर किसी स्थायी संस्थापन के माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ (2) की कोई भी व्यवस्था ऐसे संविदाकारी राज्य की ऐसी प्रचलित प्रभाजन पद्धति से, कर लगाने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी। तथापि, अपनाई गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने, उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय भी ऐसी मदें भी शामिल हों, जिनका इस प्रकार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

जहाजरानी, विमान तथा मोटर परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों अथवा मोटर वाहनों के प्रचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमानों अथवा मोटर वाहनों से संबंधित प्रचालन से जुड़ी हुई निधियों पर ब्याज को ऐसे विमानों अथवा मोटर वाहनों के प्रचालन से प्राप्त हुए लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के मामले में लागू नहीं होंगे।

4. "वायुयान परिचालन" पद का अर्थ होगा, वायुयान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा अवक्रेताओं (चार्टरों) द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन या माल को वायुयान से लाने-ले-जाने का कारोबार, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का आनुषंगिक पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल हैं।

5. किसी उद्यम को जलयानों के प्रचालन से प्राप्त हुए लाभों पर संविदाकारी राज्यों में उनके अन्तर्देशीय कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 9

सहयोगी उद्यम

जहां—

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेने वाले व्यक्ति वही हों;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांश की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारीता के ऋण-दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी, एक निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हों अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, वहां उस दूसरे राज्य में कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी:

- (क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्त कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा उनके हितभागी-स्वामित्व में हो;

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ii) उस दूसरे राज्य का सैन्ट्रल बैंक ;

(ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में उतनी सीमा तक कर से छूट दी जाएगी, जितनी उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हो, यदि वह उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से भिन्न, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा उसके हितभागी-स्वामित्व में हो जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, बशर्ते कि जिस लेन-देन से ऋण-दावे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा उस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसे प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हो। विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्धदण्ड संबंधी प्रभावी को इस अनुच्छेद के इस प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी-स्वामी जो संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज प्रोद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में, वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो, ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज अदाकर्ता तथा हिताधिकारी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हिताधिकारी-स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा। लेकिन, यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का हितभागी-स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें सिनेमा-फिल्में अथवा रेडियो या टेलीविजन प्रसारण में उपयोग में आने वाली फिल्में अथवा टेपें भी शामिल हैं, कोई पेटेंट ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं। ऐसे मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब रायल्टियां अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी

संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अदा करने का वचन दिया गया हो, और ऐसी रायल्टियां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों की राशि, इसके उपयोग, अधिकार अथवा सूचना जिसके लिए इसकी अदायगी की गयी थी, उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी-स्वामी के बीच सहमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी रकम के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

तकनीकी फीसें

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी फीसों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी फीसों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन, यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी फीसों का हितभागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर, तकनीकी फीसों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी फीसों" पद में तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की किन्हीं सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायगियों से भिन्न, किसी व्यक्ति को, की जाने वाली किसी किस्म की अदायगियों से अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी फीसों का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी फीसें उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा तकनीकी फीसें ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा ऐसी सेवाओं से प्रभावी रूप से संबंधित हैं। ऐसे मामले में, यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी फीसों तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब फीसों अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई संवैधानिक निकाय अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी फीसों अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में तकनीकी फीसों अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी फीसों उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी तकनीकी फीसों उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।

6. जहां, अदाकर्ता और हितभागी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण प्रदत्त की गई तकनीकी फीसों की रकम किसी भी कारण से उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी-स्वामी के बीच सहमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

पूँजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल-संपत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारखार-संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल-संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों के संचालन से संबंधित चल-संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अंतरणकर्ता निवासी है ।

4. किसी ऐसी कंपनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी संपत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल-संपत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी ऐसी कंपनी के, पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न, शेयरों के अंतरण से अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न, किसी भी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है ।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक हों, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतः स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों और इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद 16

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत वित्त वर्ष के दौरान, ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में रहा है, जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है;

(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के संबंध में नियोजक द्वारा कोई पारिश्रमिक वहन नहीं किया जायेगा जो उसका दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अंतरराष्ट्रीय यातायात में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित पोत अथवा विमान पर दिए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 17**निदेशकों की फीस**

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अंदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कंपनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक-मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गयी हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद 18**मनोरंजनकर्ताओं और खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय**

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत से किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किये जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किये गये अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित होते हैं ।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियत में एक संविदाकारी राज्य में किये गये वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्ता अथवा स्वयं खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है, परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि वह अन्य व्यक्ति, जिसमें उसके राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया हो ।

अनुच्छेद 19**सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन**

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए, पेंशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ;

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में अदा की गयी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा ;

(ख) लेकिन, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तब लग सकेगा यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 16, 17 तथा 18 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारखाने के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे, परन्तु ऐसी आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर-योग्य होगी, यदि वह अन्य व्यक्ति उस दूसरे राज्य में, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया हो ।

अनुच्छेद 20

गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकियां

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित, किसी पेंशन से भिन्न, किसी पेंशन अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा।
2. "पेंशन" पद से पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अभिप्रेत है।
3. "वार्षिकी" पद से जीवन-काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित समयावधि के दौरान धन-राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी-योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त की गयी अदायगियां

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, निम्नलिखित पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उस दूसरे राज्य के बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गयी अदायगियां ;

(ख) उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक, जो किसी वित्त वर्ष के दौरान 700 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य रकम से अधिक नहीं हो, जैसा भी मामला हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः उसके अध्यापन से संबंधित है अथवा उसके भरण-पोषण के उद्देश्य के लिए वचनबद्ध है।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हों, परन्तु किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार तीन वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद 22

प्रोफेसरों, अध्यापकों और शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त की गई अदायगियां

1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी अन्य मान्यता-प्राप्त संस्था में शिक्षण अथवा शोधकार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजन के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तो उसके द्वारा उस दूसरे राज्य में उसके आगमन की तारीख से दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए ऐसे शिक्षण अथवा शोध-कार्य के लिए प्राप्त किए गए पारिश्रमिक पर उसको कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद शोध-कार्य से प्राप्त ऐसी आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य मूलतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस राज्य का निवासी है अथवा उस वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी था।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए "अनुमोदित संस्था" का अभिप्राय उस संस्था से है जो इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

अनुच्छेद 23

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल-संपत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार

करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और संपत्ति का अधिकार जिसके संबंध में आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा।

अनुच्छेद 24

पूंजी

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल-संपत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर, जो कि एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति के भाग के रूप में चल-संपत्ति द्वारा अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल-संपत्ति द्वारा जो कि एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, निरूपित पूंजी पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों, वायुयानों अथवा मोटर वाहनों द्वारा निरूपित पूंजी पर और ऐसे जलयानों, वायुयानों अथवा मोटर वाहनों के संचालन से संबंधित चल-संपत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा जिसका कि ऐसी संपत्ति का स्वामी — उद्यम एक निवासी है।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के अन्य सभी तत्वों पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

अनुच्छेद 25

दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामलों में, ऐसे मामलों को छोड़कर, लागू रहेंगे जहां इस करार में उनके विपरीत कोई प्रावधान किया गया हो।

2. जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूंजी का मालिक हो, जिसपर इस करार के उपबंधों के अनुसार उजबेकिस्तान में कर लगाया जा सकता है वहां भारत चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर, उजबेकिस्तान में अदा की गयी आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा और उस निवासी द्वारा उजबेकिस्तान में अदा की गयी पूंजी कर की रकम के बराबर पूंजी पर कर से कटौती के रूप में अनुमति देगा। तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती, आयकर के उतने भाग अथवा पूंजी पर कर (जिसकी अदायगी कटौती की अनुमति दिये जाने से पूर्व की गई हो) के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो उस आय अथवा पूंजी के कारण हो जिस पर उजबेकिस्तान में कर लगाया जा सकता है।

3. उजबेकिस्तान के मामले में, दोहरे कराधान का परिहार उस पद्धति से किया जाएगा जो कि पैराग्राफ 2 में बतायी गयी पद्धति के समान है।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय-कर में वह कर शामिल समझा जाएगा जो कि देय होता परंतु, संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रदान किए गए और आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों के कारण देय नहीं है।

5. ऐसी आय, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता, उसे उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की दर की गणना करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

अनुच्छेद 26

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक-समान परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों में तथा एक-समान शर्तों के अधीन समरूप लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन

के लाभों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के उसी प्रकार के लाभों पर लगाई जाती है और न ही इस करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है।

3. इस अनुच्छेद में विहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह उन व्यक्तियों को, जो कि उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कर प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहतें, घटौतियां और कटौतियां मंजूर करे जो कानून के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो वहां के निवासी हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में हैं, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा हो सकती हो।

5. इस अनुच्छेद में, "कराधान" पद का आशय उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद 27

पारस्परिक करार विधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों में किसी एक अथवा दोनों राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस करार के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक निवासी है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस पर कर लगाया जाता है जो करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत हो और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे दोनों संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस करार के अर्थ-निरूपण की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी इस करार में व्याख्या नहीं की गई है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अधिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी संस्थापित प्रक्रिया के अधधीन एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो, तो ऐसा आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं जहां तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो, ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी अथवा अपवंचन को रोका जा सके। किसी भी संविदाकारी राज्य के द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता हो, तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बद्ध हो, जो करार के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे सूचना को न्यायिक निर्णयों में सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा मामले-विशेष के संदर्भ में अनुरोध करने पर अथवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची से सहमत होंगे जिन्हें नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व नहीं डालना होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक संबंधी गुप्त-भेद अथवा व्यापारिक-प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 29

राजनयिक और कौंसुली कार्यकलाप

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारियों के विषयी विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 30

प्रवर्तन

दोनों संविदाकारी राज्य एक-दूसरे को यह सूचना देंगे कि उन्होंने इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपने-अपने कानून द्वारा अपेक्षित कार्यविधियां पूरी कर ली हैं। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा :—

(क) भारत में : पहली अप्रैल, 1993 को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और पहली अप्रैल, 1993 को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर धारित पूंजी के संबंध में ;

(ख) उज़बेकिस्तान में : पहली जनवरी, 1993 को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और पहली जनवरी, 1993 को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष की समाप्ति पर धारित पूंजी के संबंध में ।

अनुच्छेद 31

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा, परन्तु दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने के दिन से पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष के जून मास की तीस तारीख को अथवा इसके पश्चात् राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को करार के समापन की लिखित सूचना दे सकता है तथा ऐसी परिस्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा:—

(क) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के अन्त में धारित-पूंजी के संबंध में ;

(ख) उज़बेकिस्तान में : जिस कैलेण्डर वर्ष में सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के आय-वर्ष के अंत में धारित-पूंजी के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ तीरानबे के जुलाई माह के 29 वे दिन हिन्दी, उज़बेक और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इन पाठों में से किसी भी पाठ में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा।

हस्ता.

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

हस्ता.

उज़बेकिस्तान गणराज्य की
सरकार की ओर से

[अधिसूचना सं. 10222/96/फा. सं. 501/8/92—विदेश कर प्रभाग]

एन. पी. साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1996

INCOME-TAX

S.O. 790(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uzbekistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has entered into force on the 25th January, 1994 on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for the bringing into force of the said Agreement in accordance with Article 30 of the said Agreement.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE

PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON THE INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uzbekistan,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital;

HAVE Agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

280] GI.96—3

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) in Uzbekistan:

(i) the taxes on profit;

(ii) the wealth-tax;

(iii) the income tax on legal persons as well as individuals;

(hereinafter referred to as "Uzbekistan tax")

(b) in India:

(i) the income-tax including any surcharge thereon;

(ii) the wealth-tax;

(hereinafter referred to as "Indian tax")

2. The present Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, and other maritime zones in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with International Law.

(b) the term "Uzbekistan" means in geographical sense land, territorial waters, and other zones in which Uzbekistan has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the International Law and tax laws of the Republic of Uzbekistan.

(c) the terms "Contracting State" and "the other Contracting State" mean Uzbekistan or India as the context requires;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;

(e) the term "competent authority" means in the case of Uzbekistan, Central State Taxation Board; and in the case of India, the

Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorized representative;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "fiscal year" means :

(i) in the case of Uzbekistan, calendar year from 1 of January to 31 of December of the year under review.

(ii) in the case of India, "previous year" as defined under section 3 of the Income-tax Act, 1961;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship, aircraft or motor vehicles operated by an enterprise of a Contracting State except when the ship, aircraft or motor vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;

(i) the term "national" means, any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;

(j) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(k) the term "tax" means Indian tax or Uzbekistan tax as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of that State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests);

(b) If the State, in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode ;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then he shall be deemed to be a resident of the State in which his place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement the term "permanent establishment" means a fixed place of business, through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management,

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory .

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a building site or a construction or an assembly project or supervisory activities in connection therewith; but only where such site, project or activity continues for a period of more than twelve months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise ;

- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business, solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 of this Article, which if exercised through a fixed place of business would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company, which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is

situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of an enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable directly or indirectly to that permanent establishment.

The words "directly or indirectly" mean, for the purposes of this Article, that where a permanent establishment takes an active part in negotiating, concluding or fulfilling contracts entered into by the enterprise, then notwithstanding that other parts of the enterprise have also participated in those transactions, there shall be attributed to the permanent establishment that proportion of profits of the enterprise arising out of those contracts as the contribution of the permanent establishment to those transactions bears to that of the enterprise as a whole.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary, the method of apportionment adopted shall however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraph, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include item of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING, AIR AND MOTOR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State derived from operation of aircraft or motor vehicles in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft or motor vehicles in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft or motor vehicles, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprise, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

5. Profits derived by an enterprise from operation of ships shall be taxable in the Contracting States in accordance with their domestic laws.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends, paid by a company, which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15% of gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or from other rights, not being debt-claims participating in profits as well as the income from other corporate rights, which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of State of which company making the distribution is a resident.

4. Provisions of the paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, not subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

(i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person other than a person referred to in sub-paragraph (a) who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent

establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness in which the interest is paid was incurred and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of interest having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner, in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 15 per cent of gross amount of royalties.

3. The term "royalties" as used in this article means payments of any kind, received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, article or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply, if the beneficial owner of the royalties being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties whether he is a resident of a Contracting State or not has in a Contracting State a permanent

establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information, for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

TECHNICAL FEES

1. Technical fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such technical fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State; but if the recipient is the beneficial owner of the technical fees, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the technical fees.

3. The term "technical fees" as used in this Article means payments of any kind to any person other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply, if the beneficial owner of the technical fees being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the technical fees arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services and the technical fees are effectively connected with such permanent establishment or such services. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Technical fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a statutory body thereof, or a resident of that State. Where however, the person paying the technical fees whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a resident of a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the technical fees was incurred and such technical fees are borne by that permanent establishment or fixed base then such technical fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other persons the amount of the technical fees paid, exceeds for whatever reasons, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment, which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purposes of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares, other than those mentioned in paragraph 4, in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property, other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the

following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :—

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists, accountants and other such professions.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration, derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of

an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments, derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

Article 18

INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND SPORTS PERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as a sports person, from the personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or sports person in his capacity as such accrues not to the entertainer or sports person himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sports person are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or a sports person who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-division or a local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sports person in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or sports person himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-division or local authorities.

Article 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division, or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :—

- (i) is a national of that State ; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or political sub-division, or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or sub-division or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof, income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-division or local authorities.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for, adequate and full consideration in money's worth.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on :—

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training ; and
- (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding US \$ 700 or its equivalent amount during any fiscal year.

as that case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 22

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher is or was a resident of the Contracting State immediately visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State or in the immediately preceding fiscal year.

4. For the purposes of paragraph 1 "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right of property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing article of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.

Article 24

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property, forming part of the business property of a permanent establishment, which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships, aircraft or motor vehicle operated in international traffic and by

movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or motor vehicles, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise owning such property is a resident.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 25

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Uzbekistan, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Uzbekistan, whether directly or by deduction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Uzbekistan. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of income tax or tax on capital (as paid before the deduction is given), which is attributable to the income or the capital which may be taxed in Uzbekistan.

3. In the case of Uzbekistan the double taxation shall be avoided by a method which is identical to that mentioned in paragraph 2.

4. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

5. Income which in accordance with the provisions of this Agreement, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

Article 26

NON-DISCRIMINATION

1. The national of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprise of that other State carrying on the same activities in the same circumstances. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first mentioned Contracting State at a rate higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first mentioned State nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned Contracting State to any taxation of any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the date of receipt of the first notice of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement

Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting State.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings in judicial decisions. The competent authorities shall through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matter in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information which would disclose any trade business, industrial commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

Each of Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) In India; in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st April 1993 and in respect of capital which is held at the expiry of any previous year beginning on or after 1st April 1993 ;
- (b) In Uzbekistan in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st January 1993 and in respect of capital which is held at the expiry of any year of income beginning on or after 1st January, 1993.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through Diplomatic Channels, written notice of termination and in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) In India : in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st April next following the calendar year in which the notice is given and in respect of capital which is held at the expiry of any previous year beginning on or after 1st April next following the calendar year in which the notice of termination is given ;
- (b) In Uzbekistan in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st January next following the calendar year in which the notice is given and in respect of capital which is held at the expiry of any year of income next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

Done at New Delhi in duplicate this 29th day of July. One thousand nine hundred and ninety three in Hindi, Uzbek and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

Sd/-

For the Government of the
Republic of India

Sd/-

For the Government of the
Republic of Uzbekistan

[Notification No. 10222/96/F. No. 501/8/92-
FTD.]

N. P. SAHNI, Jt. Secy.

